

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

06 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024

तारीख दायरा

01.02.2024

सुरेश चौधरी  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
23.05.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री अनुपम सिंहल पुत्र श्री सत्यनारायण सिंहल निवासी 78 महाजन मोहल्ला देवली जिला  
टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स चांदमल सत्यनारायण लक्ष्मी मार्केट के सामने सदर बाजार देवली  
जिला टोंक राज.। पिनकोड-304804 मोबाईल नं. 9571637376

2-मैसर्स चांदमल सत्यनारायण लक्ष्मी मार्केट के सामने सदर बाजार देवली जिला टोंक  
राज.। पिनकोड-304804

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा  
26(2) की उप धारा 2(iv), (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पैरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री अनुपम सिंहल स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 23.05.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 19.10.2023 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स चांदमल सत्यनारायण लक्ष्मी मार्केट के  
सामने सदर बाजार देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री अनुपम सिंहल पुत्र श्री  
सत्यनारायण सिंहल अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना  
परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अनुपम सिंहल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का  
एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा  
प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के 2 कट्टों में  
लगभग 40-45 किलोग्राम लाल मिर्च पावडर (खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का  
अन्देशा हुआ तो श्री अनुपम सिंहल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.  
बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अनुपम सिंहल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व  
अतिरिक्त स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ



1992

.....  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह लाल मिर्च पावडर (खुला) वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पावडर (खुला) 2 किलोग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक में 500-500 ग्राम भरकर, नियमानुसार एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3794 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3794 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा शेष बचे खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पावडर कुल मात्रा 40 किलोग्राम को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री अनुपम सिंहल की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1062 दिनांक 07.11.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./4269/एक्ट/2023/4354 दिनांक 30.10.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पावडर (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वधन) नं. 2.3.14.(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री अनुपम सिंहल स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है तथा यह मानव उपयोग के लिए किसी भी तरह हानिकारक नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खुले में विक्रय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत शक्ति के साथ निस्तारण किया जावे।



पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस लाल मिर्च पावडर (खुला) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर (खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(iv), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.05.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)  
न्याय निर्णय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0